न्यायालय उपखंड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड

पीठासीन अधिकारी: पुष्कर कुमार मित्तल (आर. ए. एस.)

उनवान

रामगोपाल बनाम बाबूलाल वगै 0

प्रकरण संख्या :-01/23

1. रामगोपाल पिता पन्नालाल जाति लोधा निवासी बांसखेड़ा तहसील मनोहर थाना

......................प्रार्थी

1. बाबूलाल पिता पन्नालाल जाति लोधा निवासी बांसखेड़ा तहसील मनोहर थाना
2. कन्हैयालाल पिता पन्नालाल जाति लोधा निवासी बांसखेड़ा तहसील मनोहर थाना
3. केलाबाई पुत्री रामलाल जाति लोधा निवासी बांसखेड़ा तहसील मनोहर थाना
4. कस्तूरीबाई पुत्री मथुरालाल जाति लोधा निवासी खेजड़ा पोस्ट नयापुरा तहसील अकलेरा
5. कालूराम पिता रामलाल जाति लोधा निवासी बांसखेड़ा तहसील मनोहर थाना
6. काशीराम पिता मथुरालाल जाति लोधा निवासी बांसखेड़ा तहसील मनोहर थाना
7. घासीलाल पिता मथुरालाल जाति लोधा निवासी बांसखेड़ा तहसील मनोहर थाना
8. नरबदी बाई पुत्री रामलाल जाति लोधा निवासी बांसखेड़ा तहसील मनोहर थाना
9. बाबूलाल पिता पन्नालाल जाति लोधा निवासी बांसखेड़ा तहसील मनोहर थाना
10. बालाबक्श पिता पन्नालाल जाति लोधा निवासी बांसखेड़ा तहसील मनोहर थाना
11. भूरी बाई पुत्री मथुरा लाल जाति लोधा निवासी बांसखेड़ा तहसील मनोहर थाना
12. भँवरलाल (फ़ौत)

12.1 मांगीलाल पिता भवरलाल जाति लोधा निवासी बांसखेड़ा तहसील मनोहर थाना

12.2 धापू बाई पुत्री भंवरलाल जाति लोधा निवासी बांसखेड़ा तहसील मनोहर थाना

12.3 कालीबाई पुत्री भंवरलाल जाति लोधा निवासी बांसखेड़ा तहसील मनोहर थाना

12.4 ममता बाई पुत्री भंवरलाल जाति लोधा निवासी बांसखेड़ा तहसील मनोहर थाना

12.5 कल्याणी बाई पुत्री भंवरलाल जाति लोधा निवासी बांसखेड़ा तहसील मनोहर थाना

13. मांगी बाई पत्नी रामलाल जाति लोधा निवासी बांसखेड़ा तहसील मनोहर थाना

12.5.26

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

14. रोडी बाई पत्नी पन्नालाल जाति लोधा निवासी बांसखेड़ा तहसील मनोहर थाना
15.श्रीलाल पिता पन्नालाल जाति लोधा निवासी बांसखेड़ा तहसील मनोहर थाना
16.शांति बाई पत्नी नारायण जाति लोधा निवासी सेहतखेड़ी तहसील मनोहर थाना
17. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा जावर जरिए शाखा प्रबंधक
18. स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया शाखा सरेड़ी जरिए शाखा प्रबंधक
19.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मनोहरथाना

................अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 251A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-:निर्णय:-

उपस्थित :-

दिनाँक:- 12.05.2026

श्री अशोक कुमार लववंशी,अधिवक्ता प्रार्थी

श्री गजेंद्र गौतम अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता उपस्थित न्यायालय होकर दिनांक 03.01.2023 को अंतर्गत धारा 251 A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है :- ग्राम बांसखेड़ा पटवार हलका बांसखेड़ा तहसील मनोहर थाना के माल की नई खाता संख्या 280 पुरानी 169 की खसरा नंबर 166,167,168,169 की आराजी प्रार्थी एवं अन्य सहखतेदार अमरलाल,गीताबाई,घनश्याम बद्रीलाल, बीरामचंद,भूरीबाई,रामनारायण के शामिल खाते की है।

ग्राम बांसखेड़ा पटवार हलका बांसखेड़ा तहसील मनोहर थाना के माल की नई खाता संख्या 187 पुरानी 205 की खसरा नंबर 160 अप्रार्थी संख्या 1 क़े खाते दर्ज है। ग्राम बांसखेड़ा पटवार हलका बांसखेड़ा तहसील मनोहर थाना के माल की नई खाता संख्या 207 पुरानी 220 की खसरा नंबर 161 अप्रार्थी संख्या 1लगायत 15 क़े खाते दर्ज है।

वाद की मद संख्या एक में आने जाने व कृषि यंत्रों को ले जाने का एकमात्र रास्ता प्रार्थना पत्र की मद संख्या दो वह तीन के खसरा नंबर 160 व 161 की आराजी में से होकर जा रहा है जिस पर विगत 40 वर्षों से प्रार्थी निरंतर अपने बाप दादाओ के

12.5.26

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

जमाने से निकलते चले आ रहे हैं। उक्त रास्ते को अप्रार्थीगण द्वारा उतरी मेड से होकर बंद कर दिया गया है अब प्रार्थी की खातेदारी की भूमि में आने जाने का कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना की गई है कि प्रार्थी को खसरा नंबर 160 व 161 की भूमि की उत्तरी दिशा की मेड से होकर 12 फीट चौड़ा रास्ता दिलाया जाए ताकि वह अपनी भूमि पर आ जा सके तथा काश्त कर सके।

वादी ने प्रार्थना पत्र के साथ-साथ अपना शपथ पत्र तथा नकल जमाबंदी स्वयं के खाते एवं प्रतिवादीगण के खाते की तथा नक्शा ट्रेश पेश किया है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबगी की गई तथा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुरूप तहसीलदार से रिपोर्ट चाही गई। अप्रार्थी संख्या एक की तरफ से अधिवक्ता श्री गजेंद्र गौतम द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा की गई रास्ते की मांग गैर कानूनी है प्रार्थना पत्र की मद संख्या एक में वर्णित आरजी के खसरा नंबर 167, 168 1,69 के लगवां ही प्रार्थी के अन्य खसरा नंबर 170 स्थित है जो प्रार्थी की पत्नी रोड़ी बाई के शामिल खाते की है। प्रार्थी द्वारा तथ्यों को छुपा कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है क्योंकि उक्त आरजी पर जाने के लिए खसरा नंबर 170 में से होकर रास्ता है अर्थात प्रार्थी के पास पूर्व से ही वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। इस प्रकार एक अन्य सुगम मार्ग खसरा नंबर 219 जो कि गांव से होकर खसरा नंबर 220 में जाता है,वह भी वैकल्पिक रास्ता है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र जानबूझकर परेशान करने की नीयत से आर्थिक एवं मानसिक क्षति पहुंचाने की नीयत से पेश किया गया है जो काबिल खारीजी है।

मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट वादीगण की आराजी के खसरा नंबर 167,168,169 पर जाने का कोई रास्ता दर्ज रेकार्ड नहीं है। उक्त खसरा नंबर पर जाने के लिए प्रार्थी द्वारा खसरा नंबर 160 व 161 की उतरी मेड पर होकर 12 फीट चौड़ा रास्ता चाहा गया है खसरा नंबर 160 में 161 के ही संलग्न खसरा नंबर 170 है जिसमें प्रार्थी की पत्नी सह खातेदार के रूप में दर्ज है इसलिए खसरा नंबर 160 के उत्तरी पूर्वी कोने पर उतरी मेड के सारे आशिक भाग पर 40x4 मीटर रास्ता दिया जाना उचित होगा। खसरा नंबर 160 बाबूलाल पुत्र पन्नालाल के नाम दर्ज रिकार्ड है उपरोक्त 160 मीटर स्क्वायर की वर्तमान डीएलसी अनुसार कीमत 20800 बनती है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251A के प्रावधानानुसार

12.5.26

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखंड अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त है कि संक्षिप्त जांच के पश्चात् यह समाधान हो जाए कि प्रार्थी की आवश्यकता आत्यान्तिक है, वैकल्पिक मार्ग नहीं है तो लघुतम/निकटतम मार्ग (तीस फुट से अधिक चौड़ा न हो) प्रदान करे। मार्ग भूमि राजस्व अभिलेख में रास्ता अंकित हो जाएगी।

यहां धारा 251क को देखना समीचीन होगा

251क अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलने या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना - (1)जहां-

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है; या

{ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या,यथास्थिति उनके जोत तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है-

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथा स्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखंड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखंड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि-

(i) यह आवश्यकता आत्यन्तिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है; और

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नए मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है,

तो आदेश द्वारा,आवेदक को,अभिधारी जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाइन के साथ-साथ भूमि की सतह से कम से कम 3 फीट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर जो उसे अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाए, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाए तो लघुत्तम या निकटतम रूप से होकर एक नया मार्ग जो 30 फीट से अधिक चौड़ा ना हो, बनाने के लिए या विद्यमान मार्ग को 30 फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए उसे अभिधारी को जो उसे भूमि को धारित करता है जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या (विद्यमान मार्ग को विस्तारित

12.5.26
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाए, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखंड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाए या प्रतिकर के संदाय के एवज में ऐसे अभिधारी के नाम विनिमय में अधिमानत: समान कीमत की और उसकी लगी भूमि से लगी हुई भूमि के समान क्षेत्र का अंतरण किए जाने पर) अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) क़े अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाए वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में रास्ता के रूप में अभिलिखित की जाएगी।

(3) वह व्यक्ति जिनको उपधारा (1) में निरदिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा की उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में,जिसमे से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाए, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेज़ी साक्ष्य, तहसीलदार जाँच-रिपोर्ट, उभय पक्षकारों के विद्वान अभिभाषकों की बहस तथा धारा 251A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों का सम्यक् एवं गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तत्पश्चात् न्यायालय का विधिक परीक्षण एवं निष्कर्ष निम्नानुसार है:—

धारा 251A की शर्तों का परीक्षण

धारा 251A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत न्यायालय उपखंड अधिकारी को नया मार्ग देने का अधिकार तभी प्राप्त है, जब संक्षिप्त जांच के पश्चात् निम्न दो शर्तें एक साथ सिद्ध हों:—

(i) प्रार्थी की आवश्यकता आत्यन्तिक (Absolute Necessity) हो, अर्थात् मार्ग केवल जोत के सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं बल्कि भूमि पर पहुंचने के लिए नितान्त अनिवार्य हो; और

(ii) अप्रार्थी की जोत के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध न हो।

उपरोक्त दोनों शर्तें संचयी (Cumulative) हैं — यदि इनमें से एक भी शर्त पूरी नहीं होती तो मार्ग देने का अधिकार न्यायालय को प्राप्त नहीं होता।

प्रकरण के तथ्यों का विश्लेषण

प्रार्थी रामगोपाल पिता पन्नालाल ने अपनी जोत खसरा नंबर 166, 167, 168, 169

12.5.26

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

तक पहुंचने हेतु अप्रार्थीगण के खसरा नंबर 160 व 161 की उत्तरी मेड से 12 फीट चौड़ा रास्ता दिलाए जाने की प्रार्थना की है।

प्रार्थी की उक्त प्रार्थना का परीक्षण करने पर निम्न तथ्य प्रकाश में आए हैं:—

1. **गैर मुमकिन रास्ते का अस्तित्व** - स्थल एवं राजस्व अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी की जोत के खसरा नंबर 166, 167, 168, 169 खसरा नंबर 220 (चारागाह भूमि) से सटे हुए हैं। उक्त खसरा नंबर 220 (चारागाह) एक गैर मुमकिन रास्ते से लगी हुई है। राजस्व अभिलेखों में इस गैर मुमकिन रास्ते का अस्तित्व दर्ज है। उक्त गैर मुमकिन रास्ते पर वर्तमान में किसी प्रकार का कोई अवरोध अथवा बाधा नहीं है। यह मार्ग सुगम एवं व्यावहारिक रूप से प्रयोग योग्य हैउपरोक्त गैर मुमकिन रास्ते से होकर प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि (खसरा नंबर 166, 167, 168, 169) पर आसानी से आ-जा सकता है। अतः प्रार्थी के पास एक सुगम एवं निर्बाध वैकल्पिक मार्ग पूर्व से ही उपलब्ध है।

2. **आत्यन्तिकता की अनुपस्थिति** —जब प्रार्थी की भूमि पर पहुंचने का मार्ग पहले से विद्यमान एवं अवरोध-रहित है तो प्रार्थना पत्र में वर्णित आवश्यकता आत्यन्तिक की कोटि में नहीं आती। धारा 251A की मूल भावना यह है कि नया मार्ग केवल तभी दिया जाए जब भूमि पूर्णतः landlocked हो और पहुंचने का कोई अन्य साधन न हो।

जब प्रार्थी के पास वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध हो तब अप्रार्थी संख्या 1 बाबूलाल की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 160 पर बलात् मार्ग अधिरोपित करना न केवल अनावश्यक होगा बल्कि अप्रार्थी के मूल भूमि-स्वामित्व अधिकारों का अनुचित अतिक्रमण भी होगा।

-: आदेश :-

उपरोक्त तथ्यात्मक एवं विधिक विवेचन के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रार्थी की प्रार्थना धारा 251A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में विहित अनिवार्य शर्तों — आत्यन्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक मार्ग का पूर्ण अभाव — को पूरा नहीं करती। अतएव प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 खारिज किया जाता है।

दोनों पक्ष अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे द्वारा लिखवाया गया तथा न्यायालय की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर द्वारा जारी किया गया।

12.05.26

पुष्कर कुमार मित्तल (आर. ए. एस.)
उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना